



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 563]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 12, 2011/आश्विन 20, 1933

No. 563]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 12, 2011/ASVINA 20, 1933

संस्कृति मंत्रालय

(भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अक्टूबर, 2011

सा.का.नि. 751(अ).—प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष नियमावली, 1959 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाने का प्रस्ताव करती है जिसे उक्त अधिनियम की धारा 38 की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है जिनके इससे प्रभावित होने की सम्भावना है और एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि प्रस्तावित संशोधन में किसी भी प्रकार की आपत्तियाँ अथवा सुझाव इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से 30 दिनों की अवधि के अन्दर दिए जाएँ।

30 दिनों की समाप्ति के पूर्व उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली किसी भी आपत्ति या सुझाव पर केन्द्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

आपत्तियाँ या सुझाव महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जनपथ, नई दिल्ली-110011 को भेजे जाएँ।

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त नाम, तारीख और प्रारम्भ.—(i) इन नियमों को प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (संशोधन) नियम, 2011 कहा जाएगा।

(ii) ये तारीख से प्रवृत्त होंगे

2. प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष नियम, 1959 में—

नियम 8 (घ) में "विजीटर्स राउण्ड" शब्दों के पश्चात् या "टेक हिज फोटोग्राफ" शब्दों का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. 1/4/2011-एम]

डॉ. गौतम सेनगुप्ता, महानिदेशक
पाद टिप्पण :—मूल नियम, दिनांक 15 अक्टूबर, 1959 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii), पृष्ठ 519-525 पर प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नानुसार संशोधित किए गए थे—

- (i) का.आ. 3520, दिनांक 20 नवम्बर, 1966;
- (ii) सा.का.नि. 663, दिनांक 1 मई, 1967;
- (iii) का.आ. 5002, दिनांक 13 दिसम्बर, 1969;
- (iv) का.आ. 935, दिनांक 16 फरवरी, 1971;
- (v) सा.का.नि. 90, दिनांक 30 जनवरी, 1991;
- (vi) सा.का.नि. 306, दिनांक 10 जुलाई, 1996;
- (vii) सा.का.नि. 799 (अ) दिनांक 17 अक्टूबर, 2000;
- (viii) सा.का.नि. 800(अ) दिनांक 17 अक्टूबर, 2000;
- (ix) सा.का.नि. 848(अ) दिनांक 3 नवम्बर, 2000;
- (x) का.आ. 10 (अ) दिनांक 5 जनवरी, 2001;
- (xi) सा.का.नि. 688 (अ) दिनांक 24 सितम्बर, 2001;
- (xii) सा.का.नि. 372 (अ) दिनांक 30 अप्रैल, 2003;
- (xiii) सा.का.नि. 112 (अ) दिनांक 27 फरवरी, 2008;
- (xiv) सा.का.नि. 164 (अ) दिनांक 5 मार्च, 2008;
- (xv) सा.का.नि. 436(अ) दिनांक 9 जून, 2008;
- (xvi) सा.का.नि. 429(अ) दिनांक 20 मई, 2010।

MINISTRY OF CULTURE
(Archaeological Survey of India)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th October, 2011

G.S.R. 751(E).— In exercise of power conferred by the Section 38 of the Ancient Monuments and Archeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958), the Central Government hereby proposes to make the following rules further to amend the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Rules, 1959, which is hereby published as required by sub-section (1) of the Section 38 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that any objections or suggestion to the proposed amendment, may be made within a period of thirty days from the date of issue of this notification in the Official Gazette.

Any objections or suggestions which may be received from any person in respect of the said rule before the expiry of the period of thirty days will be considered by the Central Government.

Objections or suggestions may be sent to the Director General, Archaeological Survey of India, Janpath, New Delhi-110011.

DRAFT RULES

1. Short title, date and commencement.—(i)

These rules may be called the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (Amendment) Rules, 2011.

(ii) They shall come into force on the.....

2. In the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Rules, 1959—

In rule 8(d), after the words “visitors round”, the words “or take his photographs” shall be omitted.

[F.No. 1/4/2011-M]

GAUTAM SENGUPTA, Director General

Foot Note :—The principle rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii), dated the 15th October, 1959 at pages 519-525 and subsequently amended *vide* —

- (i) S.O. 3520, dated 20th November, 1966;
- (ii) G.S.R. 663, dated 1st May, 1967;
- (iii) S.O. 5002, dated 13th December, 1969;
- (iv) S.O. 935, dated 16th February, 1971;
- (v) G.S.R. 90, dated 30th January, 1991;
- (vi) G.S.R. 306, dated 10th July, 1996;
- (vii) G.S.R. 799(E), dated 17th October, 2000;
- (viii) G.S.R. 800(E), dated 17th October, 2000;
- (ix) G.S.R. 848(E), dated 3rd November, 2000;
- (x) S.O. 10(E), dated 5th January, 2001;
- (xi) G.S.R. 688 (E), dated 24th September, 2001;
- (xii) G.S.R. 372(E), dated 30th April, 2003;
- (xiii) G.S.R. 112(E), dated 27th February, 2008;
- (xiv) G.S.R. 164(E), dated 5th March, 2008;
- (xv) G.S.R. 436(E), dated 9th June, 2008;
- (xvi) G.S.R. 429(E), dated 20th May, 2010.